



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042022-235037
CG-DL-E-11042022-235037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1683]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944

No. 1683]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 1769(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संस्थापित एक आयोग 'राजस्थान विद्युत नियामक आयोग' (पैन:-AAABR0296D) को उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) याचिका दाखिल करने का शुल्क;
- (ख) लाईसेंस शुल्क; तथा
- (ग) निवेश पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग,-

- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2020-21 में 01-06-2020 से 31-03-2021 की अवधि तथा वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए लागू की गई समझी जाएगी एवं वित्तीय वर्षों 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 30 /2022/फा. सं. 300196/27/2016 -आईटीए-I (भाग-1)]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 1769(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Rajasthan Electricity Regulatory Commission' (PAN AAABR0296D), a Commission constituted by the state Government of Rajasthan, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely: -

- (a) Petition filing fees;
- (b) Licence fees; and
- (c) Interest earned on investment.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Rajasthan Electricity Regulatory Commission, -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the period from 01.06.2020 to 31.03.2021 for the financial year 2020-2021 and 2021-2022 and shall apply with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 30/2022/F.No.300196/27/2016-ITA-I (Pt.-1)]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.